

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अधिकारी: ~~.....~~

संख्या: 85/18

श्री. पिता 3वां गुजर निवासी ओधडास

---प्रार्थीगण

बनाम  
श्री. पिता श्री. मोहन दाबडा निवासी शास्त्री नगर भीलवाड़ा  
करलास 5/0 क्षेत्रकाल गुजर निवासी ओधडास  
मचन्द्र 5/0 क्षेत्रकाल

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 7/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मा.लोला पटवार हल्का मा.लोला व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 144, 147 कुल किता 2 रकबा 0.2 बीघा 0 बिस्वा स्थित हैं। वाद के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा वाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/5/18 को पंजीबद्ध किया जाकर जो अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में फार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम मा.लोला पटवार हल्का मा.लोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 144, 147 कुल किता 2 रकबा 0.2 बीघा 0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक को 200 रुपये (अक्षर: दो सौ) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये ये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा